महत्वपूर्ण एवं खास

कंपनी के नाम से 1 करोड़ से अधिक का लोन लेकर की ठगी

रायपुर (आरएनएस)। कंपनी के नाम से 1 करोड़ 31 लाख 39529 रुपए लोन लेकर स्वयं का उपयोग करने का मामला प्रकाश में आया है। प्रार्थी की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी अभय गोयल 38 वर्ष बी-33 टैगोरनगर का रहने वाला है। बताया जाता है कि आरोपी उमंग गोयल, लक्ष्मी गोयल व अनुज गोयल पारिवारिक कंपनी में शेयर होल्डर थे। जिन्होंने प्रार्थी के मां रानी गोयल का फर्जी हस्ताक्षर कर प्रार्थी एवं इसकी पत्नी को कंपनी शेयर होल्डर से हटा दिए। वहीं कंपनी के नाम से 1 करोड़ 31 लाख 39 हजार 529 रुपए लोन लेकर कंपनी में उपयोग ना कर स्वयं निजी उपयोग में लाया। प्रार्थी की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 409, 469, 471, 120 बी के तहत अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

प्रदेश में दूर हुई वनरक्षकों की वेतन विसंगति कैबिनेट के निर्णय पर त्वरित अमल

रायपुर (आरएनएस)। प्रदेश के वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वनरक्षक पद पर कार्यरत वनरक्षकों की वेतन विसंगति अब दूर कर ली गई है। विगत दिवस 06 जुलाई 2023 को आयोजित राज्य मंत्री मंडल की उक्त बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार विभाग द्वारा तत्परता पूर्वक कार्य करते हुए इस आशय का निर्णय लिया गया। निर्णय के अनुसार वन विभाग में विभागीय सेटअप में स्वीकृति 26 मार्च 2003 के बाद नियुक्त किए गए सभी वनरक्षकों का वेतनमान 3050-4590 मान्य किया गया है।

विदेशी युवती ने फांसी लगाकर दी जान

रायपुर (आरएनएस)। प्रेम प्रसंग के चलते एक विदेशी युवती ने राजधानी रायपुर के एक अपार्टमेंट के फ्लैट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पंडरी थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर मामला जांच में लिया है। सूत्रों ने बताया कि अशोका रतन सोसाइटी के फ्लैट में एक विदेशी युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। पुलिस के अनुसार मृतिका का नाम नीना बेदींनिस्को 25 वर्षीय निवासी किर्गिस्तान बताया गया है। पेशे से वह टैटू आर्टिस्ट थी। अपने बॉय फ्रेंड इमरान फारूखी देवेंद्र नगर निवासी को सुबह साढ़े 4 बजे लाइव सुसाइड का वीडियो भेजकर माफी मांगी थी। घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गयी है। सुचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को पीएम के लिए भेज दिया है। नीना ने सुसाइड क्यों किया है? इसे क्या परेशानी आ गई थी? इस तरह के कई बिंदुओं पर अब पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है।

कबीरपंथ के अपमान पर भारी हंगामा

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में आज कबीरपंथ के गुरु प्रकाशमुनि साहब की फर्जी आईडी बनाकर अश्लील पोस्ट पर कार्रवाई न होने पर विपक्ष ने भारी हंगामा किया। अध्यक्ष ने 5 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। भाजपा सदस्य बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि हम चर्चा नहीं, कार्रवाई चाहते हैं। फर्जी आईडी और हैक करने जैसे साइबर अपराध बढ़े हैं। कांग्रेस सदस्य विनय जायसवाल ने विपक्ष पर टिप्पणी की तो विपक्ष ने विरोध किया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि शून्यकाल विपक्ष का होता है। स्पीकर की भी फर्जी आईडी चल रही है। सदन के माध्यम से जनता जानना चाहती है। मुख्यमंत्री बैठे हैं, गृहमंत्री बैठे हैं। कोई जवाब नहीं आ रहा। 15 दिन हो गए। कोई कार्रवाई नहीं हो रही। गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि जांच जारी है। इसके पहले भाजपा सदस्यों ने पर्चा दिखाया, जिस पर नाराज गृहमंत्री ने कहा कि यह हमारे गुरु का अपमान है।

विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 6032 करोड़ रूपए का पहला अनुपूरक बजट पारित

❒ मुख्य बजट का आकार बढक़र हुआ 1 लाख 27 हजार 532 करोड़

रायपुर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा आज विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 6031 करोड़ 75 लाख 2 हजार 977 रूपए का पहला अनुपूरक बजट पारित किया गया। पहले अनुपूरक बजट में राजस्व, गृह, ऊर्जा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण आवास, सहित विभिन्न मदों में अतिरिक्त राशि का प्रावधान रखा गया है। इस राशि को मिलाकर अब वित्तीय वर्ष 2023-24 में मुख्य बजट का आकार 01 लाख 27 हजार 532 करोड़ रूपए हो गया है। पहले अनुपूरक बजट में 2976 करोड़ रूपए राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय हेतु 3054 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है।

गौरतलब है कि वर्ष 2023-24 के मुख्य बजट में 01 लाख 21 हजार 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है और अब प्रथम अनुपूरक बजट में 6 हजार 31 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री बघेल ने पहले अनुपूरक बजट को प्रस्तुत करने के दौरान सदन को सम्बोधित करते हुए कहा कि इस वर्ष शुरूआती दिनों में कम वर्षा ने चिन्ता बढ़ाई थी, किन्तु अब अच्छी बारिश हो रही है, जिससे इस वर्ष अच्छी फसल की पूरी संभावना है। यह भी अच्छी बात है कि पिछले कुछ वर्ष में अकाल की स्थिति निर्मित नहीं हुई है। सभी मध्यम एवं बड़े बांधों में 60 से 65 प्रतिशत जलभराव हो चुका है। उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों में प्रदेश में राजस्व आधिक्य की स्थिति रही है और वर्तमान में भी छत्तीसगढ़ की वित्तीय स्थिति काफी अच्छी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुगम सडक़ योजना के बेहतर क्रियान्वयन और आवश्यकता को देखते हुए अनुपूरक बजट में 100 करोड़ रूपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।

इसी प्रकार प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के लिए 200 करोड़, रोजगारमूलक एवं आजीविका मूलक योजनाओं के लिए 156 करोड़, खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत राशन दुकान के संचालक के लिए 95 करोड़ रूपए, सुपोषण अभियान के अंतर्गत फोर्टिफाईड चावल के वितरण के लिए 76 करोड़ रूपए का अनुपूरक बजट में अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संरचनाओं के विकास के लिए अनुपूरक बजट में प्रावधान किए गए है। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़, बिलासपुर और अम्बिकापुर में एमबीबीएस की 50-50 सीटे बढ़ाने पर होने वाले अतिरिक्त व्यय के लिए अनुपूरक बजट में 45 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इसी तरह शैक्षणिक संस्थाओं के उन्नयन और अधोसंरचनाओं के विकास के लिए अनुपूरक बजट में प्रावधान किया गया है।

2000 करोड़ रूपए की महत्वपूर्ण घोषणाएं- प्रदेश के लगभग 5 लाख शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है। इस प्रकार मूल वेतन पर अब तक कुल 42 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हो चुकी है। 4 प्रतिशत बढ़ोत्तरी होने से 800 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। 37000 संविदा कर्मियों के वेतन में 27 प्रतिशत वृद्धि की गई है। इससे 350 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। दैनिक वेतन भोगी के वेतन में 4000 रुपए मासिक वृद्धि की गई है। इससे 240 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। 1650 अतिथि शिक्षकों के मानदेय में 2 हजार रुपए मासिक की बढ़ोत्तरी की गई है, इससे 4 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार पर पड़ेगा।

6000 पटवारियों को 500 रुपए मासिक संसाधन भत्ता, इससे 4 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। सभी शासकीय सेवकों को 7वें वेतनमान पर बी श्रेणी शहर हेतु 9 प्रतिशत एवं सी तथा अन्य शहरों हेतु 6 प्रतिशत गृह भाड़ा भत्ता दिया जाएगा। इससे 265 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। सभी पुलिस आरक्षकों को 8000 रुपए किट वार्षिक भत्ता दिया जाएगा। इसका 40 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। मितानिन ट्रेनर, ब्लॉक कोआर्डिनेटर एवं हेल्प डेस्क ऑपरेटर को प्रतिदिन दैनिक प्रोत्साहन भत्ता 100 रुपए दिया जाएगा। इससे 11 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। 10 हजार पंचायत सचिवों को 2500 से 3000 रुपए मासिक दिया जाएगा। इससे 50 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा।

जूटमिल पुलिस ने अवैध शराब बेचने वाले और खुले में शराब पीने वालों पर क्षेत्र में चलाया अभियान, दो मामलों में 20 लीटर अवैध शराब के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार

❒ सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीते पकड़े गए 6 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा

रायगढ़। एसएसपी सदानंद कुमार के निर्देशन तथा एडिशनल एसपी संजय महादेवा व सीएसपी अभिनव उपाध्याय के मार्गदर्शन पर जूटमिल पुलिस थाना प्रभारी निरीक्षक रामकिंकर यादव के नेतृत्व में अवैध शराब के विरूद्ध अभियान चलाया जा रहा है। कल जूटमिल पुलिस ने क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन करने वाले तथा अवैध रूप से क्षेत्र में शराब की बिक्री करने वाले आरोपियों को मुखबिर लगाकर पकड़ा। जूटमिल पुलिस की टीम ने काशीराम चौक पर आरोपी (1) किशोर कुमार मिंज पिता सुंदरलाल मिंज उम्र 37 वर्ष गढ़उमरिया उरांव मोहल्ला थाना जूटमिल को अवैध शराब परिवहन करते पकड़ा गया है। आरोपी से 15 लीटर महुआ शराब की जप्ती की गई है। वहीं पटेलपाली डीपापारा के मेन रोड़ पर आरोपी (2) रामसुरु कुर्रे पिता स्वर्गीय घुराउ कुर्रे उम्र 28 वर्ष निवासी पटेलपाली डीपा पारा थाना जूटमिल को 4 लीटर अवैध महुआ शराब के साथ पकड़ा गया है।

कार्यवाही दौरान जूटमिल पुलिस द्वारा क्षेत्र के छातामुड़ा, पुराना सारंगढ़ बस स्टैंड, काशीराम चौक अंबेडकर नगर, ग्राम अमलीभौंना के पास हाईवे रोड़ में में खुलेआम शराब पी रहे आरोपी (3) महेंद्र सिदार पिता बाबूलाल सिदार उम्र 23 वर्ष निवासी छातामुड़ा जूटमिल (4) सावन सारथी पिता बजरंग सारथी उम्र 21 वर्ष निवासी मिट्ठूमुडा थाना जूटमिल (5) श्याम लाल यादव पिता स्वर्गीय मोहित राम यादव उम्र 46 वर्ष निवासी अमलीभौंना नीचे मोहल्ला (6) केशव बंजारे पिता सुरेश बंजारे उम्र 35 वर्ष निवासी काशीराम चौक अंबेडकर नगर को गिरफ्तार कर आरोपियों पर आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया है। शराब रेड कार्यवाही में थाना प्रभारी जूटमिल निरीक्षक रामकिंकर यादव, प्रधान आरक्षक वीरेंद्र भगत, खीरेंद्र कुमार जलतारे, रामनाथ बनर्जी, संजय कुमार मिंज, महिला प्रधान आरक्षक क्लोस्टिका खेरे, आरक्षक बंशीलाल रात्रे, महिला आरक्षक भारती निषाद तथा पेट्रोलिंग स्टाफ शामिल थे।

मंदिर से ढाई लाख के आभूषण पार

कोरबा (आरएनएस)। कोरबा रोड़ पर सलोरा के पास श्याम मंदिर में बीती रात चोरी ने एक बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया है जहाँ भगवान श्याम की प्रतिमा से मुकुट और छत्र पर हांथ साफ किया है। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है।

श्री श्याम मंदिर कटघोरा में बीती रात चोरों ने मंदिर का ताला तोडकऱ भगवान श्याम का मुकुट व उपड लगा छत्र को चोरी कर लिया। जब सुबह 4 बजे श्रीश्याम मंदिर के संचालक जितेंद अग्रवाल जब उठकर मंदिर गए तो उन्होंने मंदिर का ताला टूटा हुआ देखा और मंदिर में जब घुसे तो भगवान श्रीश्याम का मुकुट और ऊपर लगे छत्र उन्हें गायब मिला। तथा मिट्टी लगे पैरों के निशान भी पाए गए है, अग्रवाल ने बताया कि चोरी किये गए सामान की कीमत ढाई लाख रुपये है। चोरी के संदेह में वो हड़बड़ा गए और इसकी सूचना श्याम मंदिर समिति के सदस्यों तथा कटघोरा पुलिस को इसकी सूचना दी गई। मंदिर समिति के सदस्य कटघोरा थाना आकर चोरी की सूचना दर्ज कराई।

मंदिर के संचालक जितेंद अग्रवाल से मंदिर में सीसीटीवी लगे होने के विषय मे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मंदिर में अभी सीसीटीवी नही लगा है। जल्द हो सीसीटीवी लगाने का विचार चल रहा था। लेकिन उसके पूर्व ही यह घटना घटित हो गई। जल्द ही सीसीटीवी कैमरा लगवाया जाएगा।

धमकी देकर रुपए मांगने वाले आदतन बदमाश पर लैलूंगा पुलिस ने की कार्यवाई

रायगढ़। दिनांक 19.07.2023 को थाना लैलूंगा में ग्राम जूनाडीह के रहने वाले नरेश दास महंत (उम्र 60 वर्ष) द्वारा उसके गांव के बदमाश प्रवृत्ति के श्रवण महंत पर उसे और उसके बेटे को मारने पीटने की धमकी देकर जबरन पांच हजार रूपये मांगने की आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया। रिपोर्टकर्ता नरेश दास महंत के रिपोर्ट पर थाना लैलूंगा में आरोपी श्रवण दास महंत पर उद्यापन (जबरन वसूली) का अपराध दर्ज किया गया। आरोपी श्रवण दास महंत पूर्व में ग्राम लैलूंगा के फुटहामुड़ा में गांववालों को ई-श्रम कार्ड एवं नया बैंक पास बुक बनवाने का झांसा देकर उनके बायोमेटिक मशीन से फिंगर प्रिंट लेकर धोखाधड़ी कर कई ग्रामीणों के खाते से रूपये निकाल लिया था , आरोपी को धोखाधड़ी के अपराध में लैलूंगा पुलिस द्वारा चालान किया गया था। आरोपी के विरूद्ध जबरन वसूली की शिकायत को गंभीरता से लेते हुये थाना प्रभारी लैलूंगा उप निरीक्षक रमाशंकर तिवारी द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर उनके मार्गदर्शन पर आरोपी श्रवण दास महंत उर्फ बब्लू पिता राम बृज महंत 35 साल निवासी वार्ड क्रमांक 02 जूनाडीह थाना लैलूंगा की तत्काल पतासाजी कर आरोपी को हिरासत में लिया गया जिसकी गैर जमानतीय अपराध में गिरफ्तारी कर रिमांड पर भेजा गया है। आरोपी के आपराधिक प्रवृत्ति को देखते हुये लैलूंगा पुलिस द्वारा आरोपी पर पृथक से धारा 110 जाफौ के तहत कार्रवाई किया जा रहा है।

यूपीएससी में वैकल्पिक विषय कैसे चुने और भारतीय संविधान दोनों विषयों पर सीईओ जितेन्दर यादव छात्रों को देंगे मार्गदर्शन

❒ 21 जुलाई को पूर्वान्ह 11 बजे से जिला ग्रंथालय में होगा कैरियर गाइडेंस सेशन

❒ कलेक्टर सिन्हा की पहल पर प्रत्येक शुक्रवार को आयोजित हो रहा कैरियर गाइडेंस सेशन

रायगढ़। कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा की पहल से जिले में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के मार्गदर्शन के लिए प्रत्येक शुक्रवार को जिला ग्रन्थालय में कैरियर गाइडेंस सेशन आयोजित किया जा रहा है। जिसमें जिले के वरिष्ठ अधिकारी छात्रों से रूबरू होकर अपने अनुभव साझा करते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे प्रतिभागियों को सफलता के टिप्स दे रहे है। इसी क्रम में शुक्रवार 21 जुलाई को पूर्वान्ह 11 बजे से जिले में सीईओ जिला पंचायत के पद पर कार्यरत आईएएस अधिकारी जितेन्दर यादव छात्रों के बीच होंगे। इस दौरान वे यूपीएससी में वैकल्पिक विषय कैसे चुने और भारतीय संविधान इन दो विषयों पर छात्रों को मार्गदर्शन देंगे।

उल्लेखनीय है कि कलेक्टर सिन्हा की विशेष पहल पर रायगढ़ जिला में युवाओं को प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी एवं रोजगार के अवसरों के लिए विशेष मार्गदर्शन एवं कोचिंग कक्षायें जिला ग्रंथालय रायगढ़ में संचालित किए जा रहे हैं, इसके साथ ही वर्तमान में जिला ग्रंथालय रायगढ़ में पीएससी की कोचिंग कक्षायें भी संचालित हो रही हैं। जिससे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं को बेहतर व प्रतियोगी माहौल प्रदान किया जा सके। इस कार्यक्रम के तहत पिछले हफ्ते जिले में पदस्थ सहायक कलेक्टर युवराज मरमट ने छात्रों का मार्गदर्शन किया था।

एक और चिटफंड कंपनी की सम्पत्ति होगी कुर्क, जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया आदेश

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर चिटफंड कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई तेजी से जारी है। एक और चिटफंड कंपनी वेल्थ क्रियेटर एण्ड रूचि रियल स्टेट की रायपुर के बीरगांव स्थित लगभग सवा दो एकड़ जमीन की कुर्की का निर्देश जिला दण्डाधिकारी डॉ. सर्वेश्वर भुरे ने जारी किया है। कंपनी के खिलाफ सम्पत्ति कुर्की का यह निर्देश छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है। चिटफंड कंपनी की संपत्ति के कुर्की से मिलने वाली राशि निवेशकों को लौटायी जाएगी। कंपनी के संबंध में निवेशकों द्वारा शिकायत दर्ज कराने पर पूरी जांच के बाद जिला दण्डाधिकारी द्वारा यह आदेश जारी किया गया है।

कंपनी वेल्थ क्रियेटर एण्ड रूचि रियल स्टेट द्वारा सुनियोजित ढंग से कूटरचित दस्तावेजों से आमजनता को अधिक ब्याज देने, कम समय में धन दोगुना करने का झांसा देकर कई लोक लुभावनी योजनाएं बताकर निवेशकों से कपटपूर्ण ढंग से राशि जमा करायी गई। निवेशकों द्वारा जमा करायी गई राशि परिपक्वता के बाद भुगतान नहीं करने, जमा की गई राशि को वापस नहीं करने और जमा राशि का ब्याज भी अदा नहीं कर धोखाधड़ी की गई। इस संबंध में निवेशकों द्वारा कंपनी संचालकों के विरूद्ध कोरबा कोतवाली थाने में अपराध पंजीबद्ध कराया गया था।

जांच के दौरान पता चला कि कंपनी वेल्थ क्रियेटर एण्ड रूचि रियल स्टेट के द्वारा संचालकों के नाम से रायपुर जिले की धरसीवां तहसील के बीरगांव में पटवारी हल्का नं. 88 के तहत खसरा नं. 287/37, 287/665 कुल रकबा 0.897 हेक्टेयर (2.216 एकड़) भूमि क्रय की गई है। शिकायत कर्ता निवेशकों ने इस जमीन को निवेशकों द्वारा जमा की गई राशि से क्रय करना और निवेशकों को उनकी राशि वापस नहीं कर धोखाधड़ी करना बताया। संपूर्ण प्रकरण में कंपनी के डायरेक्टर मौलीधर वीरम काकुलम आध्रप्रदेश, संजीव गुप्ता मोहन नगर दुर्ग, सुरेन्द्र सिंह अरोरा टी.पी. नगर कोरबा को नोटिस जारी कर पक्ष रखने का भी मौका दिया गया।

प्रकरण की जांच के बाद पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर ने कंपनी और उसके संचालकों के नाम पर दर्ज धरसीवां तहसील के बीरगांव पटवारी हल्का नं. 88, राजस्व निरीक्षक मंडल रायपुर 17 के खसरा नं. 287/37 की व्यपवर्तित भूमि को कुर्क किए जाने का आदेश जारी किया है।

SJU - Contact No. +91 9301915303
E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक तौर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए ....
न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

बाघ के तस्कर गिरोह को पकड़ने में वन विभाग को मिली बड़ी कामयाबी

❒ अभी तक 39 आरोपियों को भेजा गया जेल

रायपुर (आरएनएस)। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में राज्य में विभाग द्वारा वन अपराधों की रोकथाम के लिए सघन अभियान जारी है। इस कड़ी में बाघ के तस्कर गिरोह को पकडऩे में वन विभाग को बड़ी कामयाबी मिली है। इसके तस्कर में संलिप्त अभी तक 39 आरोपियों को जेल भेजा गया।

गौरतलब है कि वन विभाग द्वारा वन्यजीव के तस्करी के प्रकरण में संयुक्त टीम बनाकर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। इन्द्रावती टायगर रिजर्व, बीजापुर के रुद्रारम गांव से बाघ की खाल की तस्करी में लिप्त नौ आरोपियों को बाघ के खाल के साथ गिरफ्तार कर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत 3 जुलाई 2023 को 9 आरोपियों को जेल भेजा गया था। इसके पश्चात आरोपियों के निशान देही पर अन्य आरोपियों को भी पकड़ा गया। 18 जुलाई 2023 की स्थिति में कुल 39 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।

प्रकरण में मुख्य रूप से आरोपी तुलसीराम, रामकुमार टिंगे, ओमप्रकाश ठाकुर, गणेश यालम एवं मनोज कुरसम, अमित कुमार झा, आरती दास गंधर्व, पुतुल बर्मन (महिला आरोपी), पीतांबर साहू, सुधाकर हटवार, श्यामराव शिवनकर, शालीकराम मरकाम, अशोक खोटेले, जागेश्वर साहू, धर्माराव चापले, श्रवण झाड़ी, रंजीत कुलदीप, अली बक्श खान, किशोर दशरिया आदि की बाघ, तेंदुआ की खाल, कछुआ और अन्य वन्यजीवों की खरीदी-बिक्री में संलिप्तता रही है।

इस प्रकरण में अभी तक कुल 39 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है एवं वर्तमान में प्रकरण से संबंधित 07 आरोपी फरार है। प्रकरण में आरोपियों का संबंध महाराष्ट्र के तस्कर गिरोह से होने से संयुक्त टीम ने 14 आरोपियों को महाराष्ट्र के भंडारा, गोंदिया और चंद्रपुर जिले से आरोपियों को ग्राम कोसाटोला, सालेकसा में बाघ को करंट लगाकर मारने और तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है।

प्रकरण में आरोपियों से बाघ की खाल, 02 नग हिरण के सींग एवं बाघ की हड्डियां, तेंदुआ का खाल, कोटरी सींग-2 नग, कोटरी का कपाल -01 नग, उल्लू का कपाल, उल्लू का पंजा-02 नग, सांबर का सींग-02 नग, भालू का नाखून-04 नग, कार, मोटरसायकल, मोबाईल फोन, जी.आई.तार. का फंदा आदि सामग्री बरामद की गई है।

इंद्रावती टायगर रिजर्व के उप संचालक, धम्मशील गणवीर ने बताया कि यह सम्पूर्ण कार्यवाही संयुक्त रूप से टीम गठित कर की गयी है। जिसमें उदन्ती सीतानदी टायगर रिजर्व के उप संचालक वरून जैन, वनमण्डलाधिकारी दुर्ग शशी कुमार, शशिगानंदन वनमण्डलाधिकारी पश्चिम भानुप्रतापपुर एवं सबंधित वनमण्डल के टीम द्वारा इस बड़े तस्कर गिरोह को पकडऩे में सफलता हासिल की है। इस कार्यवाही में पुलिस विभाग का भी सराहनीय योगदान रहा।